फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लोगर **विपक्षी : श्रीमती नारायणी**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 234/17**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार मावली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार वाला पिता दला भील का निधन 12.07.95 को हो चुका हैं। जिसके वारिसा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बताया। वाला की पत्नी देउबाई फौत हो चुकी हैं। वाला जी के कोई सन्तान नहीं होने से वादी के पिता कालु जी को गोद रखा तभी से कालु जी वाला जी के साथ पुत्रवत रहकर सेवा चाकरी करते आ रहे हैं। वाला की मृत्यु होने से वाला के विधिक वारिस कालु व कालु के पश्चात् वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 होना बताया हैं। भूमि अभी तक वाला के नाम पर ही दर्ज हैं। कालु की भी मृत्यु हो चुकी हैं इसलिए भूमि वाला के बजाय अपने नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कालु को गोद रखना बताया है एवं वाला की मृत्यु के बाद कालु के द्वारा ही वाला की भूमि का उपयोग उपभोग करना बताया हैं। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्श 1, गोदनामा प्रदर्श 2ए, वालु का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए, कालु का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए पेश किये।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में मूल पुरूष वाला की मृत्यु हो चुकी है। इसका गोदपुत्र कालु की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 हैं। भूमि वाला के नाम होने से भूमि को वाला के वारिसों के नाम दर्ज किया जाना उचित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 357 से 367, 446 से 448, 514, 765, 1059/516 किता 17 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि में खातेदार वाला पिता दला के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:39 IST
Reason: SelfAttested